

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40/2018 राजस्व अपील

1. प्रभू पुत्र भगवान्या
2. रंगलाल पुत्र भगवान्या
3. सुमेर पुत्र श्रीनारायण

जाति गुर्जर निवासी चान्देरा तहसील बसवा  
जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील बसवा उनवान सरकार बनाम प्रभू आदि  
धारा 91 रा. ले. रे. एक्ट 1956 प्रकरण संख्या 32/2018 निर्णय दिनांक 12.02.2018

उपस्थिति : श्री सम्पतराम जांगिड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।

: राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :-

दिनांक: 17.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का चान्देरा द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम चान्देरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 0.03 है0 पर कच्चा घर व कब्जा बाड निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 12.02.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।



१७/५  
अति० जिला कलक्टर  
दौसा



अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलान्ट्स का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट्स की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 में ग्राम चान्देरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 0.03 है० पर कच्चा घर व कब्जा बाड निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 12.02.2018 के द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।




अति० जिला कलेक्टर  
जंशी




प्रकरण संख्या : 40/2018 राजस्व अपील

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम चान्देरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 540 रकबा 0.03 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र तहसीलदार बसवा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार बसवा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

  
( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलक्टर, दौसा



निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलक्टर, दौसा

